दि० 9.9.21 को पेश हो।

9.9.21 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान ... पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ ... /अन्य राजकार्य में मसरूफ रखते है। पत्रावली दि 6.1.22 को पेश हो।

11/10/21 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट खानपुरा में आज पेश हुई। पक्षकारान के नोटिस बाद तामील संलग्न है। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रतिवादी सं. 1 ने इकबाली जवाब दावा पेश किया है तथा निवेदन किया कि वादीगण का वाद मुताबिक याचना डिक्री फरमाने की कृपा करें।

हमने वाद पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, जवाब दावा आदि का अवलोकन किया। बहस सुनी गई। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम टोपा पटवार हल्का कोरमा तहसील नैनवां की प्रतिवादी सं. 1 की खाते की कृषि आराजी खाता सं. नया 134 पुराना 132 के खसरा सं. $\frac{127}{0-10}$, $\frac{129}{2-15}$, $\frac{130}{0-15}$, $\frac{131}{1-14}$, $\frac{132}{3-06}$, $\frac{133}{3-01}$, $\frac{136}{1-15}$, $\frac{137}{2-07}$, $\frac{138}{1-00}$, कुल किता 09 कुल रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 01 प्रत्येक को 1/4, 1/4 हिस्से का सह खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार नैनवा को आदेशित किया

प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट नोटिस जारी

रामभरोस

रूपपाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:53:09 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाता है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी सं. एक को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजी को अथवा उसके किसी भी हिस्से को रहन, बेचान या हस्तान्तरण अथवा अन्य किसी भी प्रकार से खुर्द-बुर्द न करें, तथा वादीगण को उनके हिस्से की आराजी पर काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे और न ही अन्य किसी से ऐसा करवावे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:53:09 IST
Reason: SelfAttested